[2022] 11 S.C.R. 1001

एस्सार हाऊस प्रायवेट लिमिटेड (अपीलार्थी)

विरूद्ध

आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (उत्तरवादी)

(सिविल अपील संख्या 6574 वर्ष 2022)

{निर्णीत दिनांक 14–09–2022}

{इंदिरा बेनर्जी, ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्तिगण}

(कमर्शियल आर्बिट्रेशन पीटिशन (एल) नंबर 6602/2020 में कमर्शियल आर्बिट्रेशन अपील (एल) क्रमांक 1022/2021 में बाम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 फरवरी 2021 से उद्भुत सिविल अपील प्रकरण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ताः- श्याम दीवान, संजन पूवैय्या वरिष्ठ अधिवक्ता। महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ऋषभ पारिख, एस. साहिल रेड्डी, ई.सी. अग्रवाल, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी के अधिवक्ताः- श्री नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। सिद्धांत कांत, सलाहकार सिंघवी, सुश्री मिशा, प्रभा सिमरन कौर, दीपक जोशी, एस.एस. श्रॉफ अधिवक्ता ।

परिणामः - अपील अस्वीकार ।

न्यायालय का निर्णय द्वारा :

इंद्रा बेनर्जी, न्यायमूर्तिः

1. अपील स्वीकार की गई ।

2. यह अपील, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक युगल पीठ (वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन) के द्वारा संयुक्त रूप से पारित निर्णय और आदेश दिनांक 1 फरवरी 2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एस्सार हाउस प्राइवेट लिमिटेड, (इसके बाद संक्षेप्तः "एस्सार हाउस प्राइवेट" लिखा जावेगा) के द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 3187/ 2021 से उद्भुत वाणिज्यिक मध्यस्थता अपील (एल) संख्या 1022/2021 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षेप्तः "मध्यस्थता अधिनियम" लिखा जावेगा) की धारा 37 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है तथा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2020 की पुष्टि की गई है, जिसमें प्रतिवादी-आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप्तः "आर्सेलर" लिखा जावेगा) के द्वारा "मध्यस्थता अधिनियम" की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुये "एस्सार हाउस प्राइवेट" को निर्देशित किया गया है कि, वह 35.5 करोड़ रुपये की राशि उच्च न्यायालय के मुख्य लिपिक या वरिष्ठ मास्टर के पास जमा करे या वैकल्पिक रूप से पूरी राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करे ।

3. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के युगल पीठ ने एस्सार सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (इसके बाद संक्षेप्तः "एस्सार सर्विसेज" लिखा जावेगा) के द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 3315/ 2021 से उद्भुत वाणिज्यिक मध्यस्थता अपील (एल) संख्या 1023/2021 को निरस्त किया गया है, तथा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2020 की पुष्टि की गई है, जिसमें "आर्सेलर" के द्वारा "एस्सार सर्विसेज" के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुये "एस्सार सर्विसेज" को निर्देशित किया गया है कि, वह 47.41 करोड़ रुपये की राशि उच्च् न्यायालय के मुख्य लिपिक या वरिष्ठ मास्टर के पास जमा करे या वैकल्पिक रूप से पूरी राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करे ।

4. एस्सार सर्विसेज, मुख्यतः लेखांकन, खाता संबंधी सेवाएं, समीक्षा, अनुसंधान आदि सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। एस्सार सर्विसेज, एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है।

5. 24 जनवरी 2012 को या उसके आसपास, एस्सार सर्विसेज और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, (इसके बाद संक्षेप्तः "एस्सार स्टील" लिखा जावेगा) के मध्य एक 'सहायता सेवा समझौता' किया गया, जिसके तहत एस्सार सर्विसेज के द्वारा एस्सार स्टील को लेखांकन और अन्य सेवाएं प्रदान करनी थीं।

6. 15 मई 2014 को, एस्सार सर्विसेज ने एस्सार स्टील के साथ एक संशोधित और पुनर्स्थापित 'सहायता सेवा समझौता' किया। उक्त संशोधित और पुनर्निर्धारित 'सहायता सेवा समझौता' के खंड 3.2 के तहत, एस्सार स्टील को सुरक्षा निधि के रूप में 73 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। एस्सार स्टील ने 'सहायता सेवा समझौता' के तहत सुरक्षा निधि के रूप में एस्सार सर्विसेज के पास कुल 47.41 करोड़ रुपये की राशि जमा की। इसके अलावा, एस्सार स्टील को प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क के रूप में एस्सार स्टील द्वारा एस्सार सर्विसेज को प्रति माह 6,38,75,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना था।

7. जनवरी 2016 से मार्च 2016 की अवधि के लिए 'सहायता सेवाएँ' बंद कर दी गई थीं, लेकिन उक्त समझौता, शुल्कों में कुछ समायोजन / बदलाव और एस्सार स्टील, एस्सार सर्विसेज और इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप्तः "इक्विनॉक्स" लिखा जावेगा) के बीच एक अंतर-कॉर्पोरेट व्यवस्था के बाद पुनः बहाल कर दी गई ।

8. "एस्सार हाउस प्राइवेट", कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है, जो रियल एस्टेट के कारोबार में लगी हुई है। "एस्सार हाउस प्राइवेट", केशवराव खाडे मार्ग, रेस कोर्स के सामने, महालक्ष्मी, मुंबई-400034 में स्थित, बिल्डिंग 'एस्सार हाउस' का मालिक है।

9. 1 अप्रैल 2016 को या उसके आसपास, "एस्सार हाउस प्राइवेट" ने "एस्सार स्टील" के साथ "किरायानामा" के रूप में एक समझौता किया, जिसके तहत एस्सार हाउस में भूतल, पोडियम और 20 ऊपरी मंजिलें एस्सार स्टील को लाइसेंस के आधार पर किराये पर 1 अप्रैल 2016 से शुरू होने वाली 36 महीने की अवधि के लिए, 78,40,000/- रुपये के मासिक किराये पर दे दी गई । उपरोक्त किराया समझौते के अनुसार, "एस्सार स्टील" को ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा निधि के रूप में "एस्सार हाउस प्राइवेट" को 25.80 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना था।

10. "एस्सार हाउस प्राइवेट" 2019 तक, ''एस्सार स्टील'' की एक समूह कंपनी थी। समूह की कई कंपनियों ने एचडीएफसी बैंक के साथ ऋण का लेनदेन किया है। यह बताया गया है कि एस्सार स्टील के

ऋणदाताओं ने एस्सार स्टील का बकाया, समूह की कंपनियों से वसूलना शुरू कर दिया है। 'इक्विनॉक्स', एस्सार स्टील की एक और समूह कंपनी है। एस्सार स्टील के निर्देश पर 'इक्विनॉक्स' ने एचडीएफसी बैंक को एस्सार स्टील की वित्तीय देनदारियों के चुकता के लिये एचडीएफसी बैंक को 60.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया। ऐसा दर्शित होता है कि एचडीएफसी बैंक ने मार्वल माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "मार्वल माइंस" लिखा जाएगा) को 26,00,00,000/- रुपये (छब्बीस करोड़ रुपये मात्र) का ऋण दिया। उक्त राशि स्पष्ट रूप से एचडीएफसी बैंक के एस्सार स्टील के बकाए के लिए विनियोजित की गई है।

11. 26 अप्रैल 2017 को एक ईमेल द्वारा, एस्सार स्टील ने स्वीकार किया कि एचडीएफसी बैंक ने मार्वल माइंस को 26 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जिसमें से 26 करोड़ रुपये सावधि ऋण वसूली के लिए विनियोजित किए गए थे।

12. अपीलकर्ता का मामला यह है कि एस्सार स्टील के निर्देश पर और एस्सार स्टील की ओर से, इक्विनॉक्स ने एचडीएफसी बैंक को समय-समय पर एस्सार स्टील के इक्विनॉक्स को देय ऋणों के भुगतान के लिए राशि अदा किया। 31 मार्च 2018 तक, एस्सार स्टील द्वारा इक्विनॉक्स को देय कुल बकाया ब्याज सहित रु. 74,84,39,302/- (ब्याज सहित चौहत्तर करोड़, चौरासी लाख, उनतीस हजार, तीन सौ दो रुपये मात्र) था।

13. 2 अगस्त 2017 को या उसके आसपास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से एस्सार के खिलाफ, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 7 के तहत, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच में एक याचिका दायर किया । 14 अगस्त 2017 को, एस्सार हाउस प्राइवेट ने एस्सार स्टील के विरूद्ध अपना दावा, एस्सार स्टील के द्वारा नियुक्त रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास दायर किया।

14. 17 सितंबर 2018 को, एस्सार स्टील ने एक समझौता किया, जिसे इसके बाद "बिजनेस सेंटर एग्रीमेंट" के रूप में जाना जाएगा, जिसके अनुसार एस्सार स्टील को एस्सार हाउस की छह मंजिलों, यानी 10 वीं, 12 वीं, 13 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं मंजिल का उपयोग करने की अनुमति, 1,78,80,000/- रुपये (एक करोड़, अठहत्तर लाख, अस्सी हजार रुपये मात्र) के मासिक किराया पर दी गई ।

15. उक्त समझौते के तहत, एस्सार स्टील को 35,51,89,875/- रुपये (पैंतीस करोड़, इक्यावन लाख, उनासी हजार, आठ सौ पचहत्तर रुपये मात्र) की सुरक्षा राशि जमा करनी थी। हालाँकि, रेंटल एग्रीमेंट के तहत एस्सार स्टील द्वारा भुगतान की गई 35,51,89,875/- रुपये में से 25,80,00,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि को व्यवसाय के तहत एस्सार हाउस प्राइवेट को देय सुरक्षा जमा में "बिजनेस सेंटर एग्रीमेंट" के तहत समायोजित किया गया।

16. 17 सितंबर 2018 को एक पत्र द्वारा, एस्सार इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि उसने 9,71,89,875/- रुपये (नौ करोड़, इकहत्तर लाख, उनियासी हजार, आठ सौ पचहत्तर रुपये केवल) की शेष सुरक्षा जमा राशि एस्सार हाउस प्राइवेट को हस्तांतरित कर दी है।

17. इस बीच, 16 अगस्त 2017 को, एस्सार सर्विसेज ने एस्सार स्टील के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास सहायता सेवा समझौता के तहत बिना भुगतान के रसीदो के संबंध में एक ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में दावा किया।

18. मार्च 2018 में एस्सार सर्विसेज और एस्सार स्टील ने पारस्परिक रूप से अपने खातों का मिलान किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि एस्सार सर्विसेज को सुरक्षा जमा के रूप में 47,41,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया था और 23,21,93,750/- रुपये की राशि एस्सार स्टील से एस्सार सर्विसेज को देय थी।

19. 2018-19 में किसी समय, इक्विनॉक्स ने कथित तौर पर एस्सार स्टील से अपनी प्राप्य राशि एडवेल इंफ्रास्ट्रक्चर हजीरा लिमिटेड को सौंपी (जिसे इसके बाद "एडवेल" कहा जाएगा) जिस पर एस्सार स्टील का नवंबर 2019 तक ब्याज सहित कुल 88,13,03,623/- रुपये बकाया था। बाद में 2019 में, एस्सार स्टील को 47.41 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए एस्सार सर्विसेज का दायित्व एडवेल को सौंप दिया गया और यह सहमति हुई कि भुगतान एडवेल को किया जाएगा।

20. आर्सेलर ने समाधान आवेदक के रूप में, एस्सार स्टील के संबंध में एक समाधान योजना प्रस्तुत की। उक्त समाधान योजना को निर्णयन प्राधिकरण (एनसीएलटी), अहमदाबाद पीठ द्वारा 8 मार्च 2019 के एक आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था। 4 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने निर्णयन प्राधिकरण के 8 मार्च 2019 के आदेश की पुष्टि की।

21. एस्सार स्टील के संबंध में आर्सेलर द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को इस न्यायालय द्वारा " **कमेटी आफ क्रेडिटर्स आफ एस्सार स्टील द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य, (2020) 8 एससीसी 531** के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।

22. 27 नवंबर 2019 को, एस्सार हाउस प्राइवेट ने आर्सेलर को एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया कि विस्तारित बिजनेस सेंटर समझौता 30 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा था और आर्सेलर से 15 दिसंबर 2019 तक एस्सार हाउस खाली करने को कहा। 15 दिसंबर 2019 को, आर्सेलर ने एस्सार हाउस को खाली कर दिया। दिनांक 16 दिसंबर 2019 को आर्सेलर ने, इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2019 के अनुसार, एस्सार स्टील का अधिग्रहण कर लिया।

23. 11 जनवरी 2020 को एक ईमेल द्वारा, आर्सेलर ने एस्सार हाउस प्राइवेट को ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि 35,51,89,875/- रुपये वापस करने के लिए कहा। इस ईमेल के बाद 19 जनवरी 2020 को एक स्मरणीय ईमेल और अन्य ईमेल आए।

24. 17 जून 2020 को, आर्सेलर ने एस्सार हाउस प्राइवेट को एक विधिक नोटिस भेजा, जिसमें एस्सार हाउस प्राइवेट से सात दिनों के भीतर ब्याज सहित सुरक्षा जमा, आर्सेलर को वापस करने को कहा गया।

25. 27 जून 2020 को एक ईमेल द्वारा, एस्सार हाउस प्राइवेट ने स्वीकार किया कि एस्सार हाउस प्राइवेट को एस्सार स्टील से 25,80,00,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन तर्क दिया कि एस्सार हाउस प्राइवेट ने 26 रुपये का ऋण लिया था, क्योंकि एस्सार स्टील का मार्वल माइंस पर करोड़ों रुपये बकाया थे और इसे एस्सार स्टील द्वारा एस्सार हाउस प्राइवेट के पास रखी गई सुरक्षा जमा राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया था। शेष राशि 9,71,89,875/- रुपये को कथित तौर पर एस्सार

हाउस प्राइवेट द्वारा एडवेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्सार स्टील द्वारा एडवेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए ऋण के भुगतान के लिए भुगतान की गई थी। इसलिए, एस्सार हाउस प्राइवेट द्वारा आर्सेलर को वापस करने के लिए कोई सुरक्षा जमा राशि शेष नहीं बची है।

26. 17 नवंबर 2020 को, आर्सेलर ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन बॉम्बे उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में, वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 6602/2020 दायर किया, जिसमें एस्सार हाउस प्राइवेट को, उच्च न्यायालय के मुख्य लिपिक या वरिष्ठ मास्टर के पास 35,51,89,875/- रुपये जमा करने का निर्देश देने का आदेश मांगा गया। उक्त आवेदन को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने स्वीकार किया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ, अपील, मध्यस्थता अपील (एल) संख्या 1022/2021 दायर किया गया जिसे उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (डिवीजन बेंच) द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

27. आर्सेलर ने अपने दावों/बकाया के निपटान में एस्सार स्टील की ओर से एस्सार सर्विसेज को 4,75,06,260 रुपये का भुगतान किया। हालाँकि, 14 जुलाई 2020 को आर्सेलर ने एस्सार सर्विसेज को 47.41 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए एक विधिक नोटिस भेजा। आर्सेलर ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन बॉम्बे हाई कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग में, वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 6607/2020 के तहत किया, जिसमें एस्सार सर्विसेज को उच्च न्यायालय के मुख्य लिपिक या वरिष्ठ मास्टर के पास 47,41,00,000/- रुपये जमा करने का निर्देश देने की मांग की गई।

28. 10 दिसंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग, के सिंगल बेंच ने एस्सार सर्विसेज को हाई कोर्ट के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के पास 47.41 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। एस्सार सर्विसेज ने उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (डिवीजन बेंच) में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सहपठित, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील संख्या 1023/2021 दायर की। इस अपील को भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

29. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने यह तर्क दिया है कि, एस्सार हाउस प्राइवेट या एस्सार सर्विसेज की ओर से आर्सेलर को कोई राशि बकाया नहीं थी। एस्सार स्टील के निर्देशों पर एस्सार हाउस प्राइवेट और एस्सार सर्विसेज के पास एस्सार स्टील की सुरक्षा जमा राशि, एस्सार स्टील के लेनदारों को बकाया चुकाने के लिए जारी की गई थी।

30. श्री श्याम दीवान ने आगे तर्क दिया कि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत विवेकाधीन अंतरिम राहत देने के लिए, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा कि अंतरिम राहत के लिए आवेदक, अर्थात् आर्सेलर के पास एक वास्तविक और मजबूत दावा था और एस्सार हाउस प्राइवेट और/या एस्सार सर्विसेज निष्पादन में बाधा डालने या देरी करने के इरादे से अपनी पूरी संपत्ति या उसके कुछ हिस्से को हटाने या निपटाने वाले थे। श्री दीवान ने तर्क दिया कि न्यायालय ने अंतरिम राहत देने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XXXVIII, नियम 5 की आवश्यकताओं पर विचार न करके गलती की है। अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री दीवान ने रमन टेक एंड प्रोसेस इंजी. कंपनी एवं अन्य. वी. सोलंकी ट्रेडर्स, (2008) 2 एससीसी 302 का हवाला दिया। जिसमें इस न्यायालय ने अवधार्य किया है कि :-

"5. आदेश 38 नियम 5 सीपीसी के तहत शक्ति एक कठोर और असाधारण शक्ति है। ऐसी शक्ति का प्रयोग यंत्रवत् या केवल माँगने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग संयमित ढंग से और सख्ती से नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य असुरक्षित ऋण को सुरक्षित ऋण में परिवर्तित करना नहीं है.''

31. अपीलों में उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि एस्सार हाउस प्राइवेट/एस्सार सर्विसेज का बचाव एक दिखावटी बचाव था। उन्होंने तर्क दिया कि एस्सार हाउस प्राइवेट/एस्सार सर्विसेज ने अपने द्वारा किए गए दावों के समर्थन में एक भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी समझौते में किसी पक्ष की एकतरफा कार्रवाई से किसी समझौते का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, इसके लिये आर्सेलर की सहमति आवश्यक थी ।

32. श्री कौल द्वारा प्रस्तत **सिटीबैंक एन०ए० बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य, (2004) 1 एससीसी 12** के प्रकरण में इस न्यायालय ने कहा है : -

*" 47. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत किसी भी **अनुबंध को निरस्त करना या उसमें परिवर्तन करना यह केवल अनुबंध के दोनों पक्षों की सहमति से ही किया जा सकता है** । दोनों पक्षों को मूल अनुबंध को नए अनुबंध से बदलने या रद्द करने या बदलने के लिए सहमत होना होगा। **यह एकतरफा नहीं किया जा सकता** ...*''

33. किसी भी मामले में, किसी अनुबंध के तहत दायित्वों को प्रतिपक्ष की सहमति के बिना नहीं सौंपा जा सकता है, जैसा कि **खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1963) 3 एससीआर 183** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है :-

*"... किसी अनुबंध का असाइनमेंट उसके तहत अधिकारों या दायित्वों में से किसी एक के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप हो सकता है। लेकिन असाइनमेंट के इन दो वर्गों के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतर है। **एक नियम के रूप में एक अनुबंध के तहत दायित्वों को वादा किए गए व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं सौंपा जा सकता है, और जब ऐसी सहमति दी जाती है, तो यह वास्तव में एक नवीनता है जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों का प्रतिस्थापन होता है ...*** "

34. किसी भी मामले में, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की सहमति के बिना सीआईआरपी से गुजरने वाली कॉर्पोरेट इकाई के संबंध में अनुबंध के नवीनीकरण या सेट-ऑफ की अनुमति नहीं है। आईबीसी की धारा 14 सीआईआरपी से गुजरने वाले कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को जब्त करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने की कार्रवाई पर रोक लगाती है।

35. स्वीकृत किया जाता है कि एस्सार स्टील का सीआईआरपी 2 अगस्त 2017 को शुरू हुआ जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने आईबीसी के तहत एस्सार स्टील के मामलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया।

36. भले ही पार्टियों के बीच कोई पूर्व पारस्परिक व्यवस्था मौजूद हो, एस्सार सर्विसेज सीआईआरपी के दौरान किसी तीसरे पक्ष को एस्सार स्टील के कथित बकाए के खिलाफ संशोधित समझौते के तहत एस्सार स्टील को देय सुरक्षा जमा को समायोजित नहीं कर सकती थी।

37. श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर धारा 9 के आवेदन पर निर्णय लेते समय सीपीसी के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। **रमन टेक एंड प्रोसेस इंजी. कंपनी एवं अन्य. वी. सोलंकी ट्रेडर्स, (2008) 2 एससीसी 302** के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अक्षरश: पालन करना आवश्यक था।

38. हालांकि, इस मामले में, उच्च न्यायालय ने आदेश 38 नियम 5 सीपीसी के सिद्धांतों को लागू करने की दलीलों पर ध्यान दिया है और कहा है:-

> *"31. हमारे विचार में, प्रतिवादी द्वारा धारा 9 के तहत दायर मध्यस्थता याचिका में प्रतिवादी की उपरोक्त दलीलों के पैराग्राफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रतिवादी के दावे को सुरक्षित करने और सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 38 नियम 5 के सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्याप्त थे। भले ही इसे इस मामले के तथ्यों पर सख्ती से लागू किया गया हो।*"

39. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी याचिका पर निर्णय लेते समय, न्यायालय सीपीसी के मूल सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकता। साथ ही, सीपीसी में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से न्यायालय की राहत देने की शक्ति कम नहीं होती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय सीपीसी के प्रावधानों से सख्ती से बंधा नहीं है।

40. हालांकि यह सच है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग आमतौर पर सीपीसी में निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करके नहीं किया जाना चाहिए, सीपीसी के तकनीकी बाधाएं, न्यायालय को न्याय के लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिससे न्याय को परास्त किया जा सके।

41. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि एक पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिम उपाय या सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है (i) मध्यस्थता में विवाद की राशि सुरक्षित करना; या (ii) सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो न्यायालय को उचित और सुविधाजनक प्रतीत हों, और न्यायालय के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है। .

42. जैसा कि श्री कौल ने तर्क दिया, विवाद में राशि को सुरक्षित करने की विशिष्ट शक्ति के अलावा, न्यायालयों को अपने समक्ष कार्यवाही के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के किसी भी अंतरिम उपाय को पारित करने का अधिकार दिया गया है। उक्त प्रावधान न्यायालय को सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय पारित करने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है जो उचित और सुविधाजनक प्रतीत हो सकते हैं।

43. कई उच्च न्यायालय भी इस सिद्धांत पर आगे बढ़े हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत न्यायालय की शक्तियां सीपीसी के प्रावधानों के तहत शक्तियों से अधिक व्यापक हैं।

44. **अजय सिंह एवं अन्य बनाम काल एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 8934** में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही अवधार्य किया है :

"...धारा 9 उचित अंतरिम आदेश तैयार करने में अदालतों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है, जैसा कि इसके पठन से स्पष्ट है। फिर भी, अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग सैद्धांतिक एवं कुछ ज्ञात दिशानिर्देशों पर आधारित होना चाहिए - इसलिए, आदेश 38 और 39 के प्रावधान अनुसार समान्य रूप से, न्यायालय को स्वयं को उन प्रावधानों के पठन से अनावश्यक रूप से बाध्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करना है..."

45. **जगदीश आहूजा व अन्य विरूद्ध क्यूपिनो लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 849** के प्रकरण में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैराग्राफ 6 में कानून का सही सारांश दिया है जो निम्नानुसार है :-

"6. जहां तक अधिनियम की धारा 9 का प्रश्न है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय, इसके अंतर्गत दिये गये अनुतोष पर विचार करते समय, आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों से सख्ती से बंधी हुई है। जैसा अवधारित है, इस न्यायालय द्वारा माना जाता है, अधिनियम की धारा 9 का दायरा बहुत व्यापक है; न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि वह सुरक्षा के अंतरिम उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में "जैसा कि न्यायालय को उचित और सुविधाजनक लगे" प्रदान कर सकती है, हालांकि इस तरह के विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय उन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है जिन्हें सिविल अदालतें आम तौर पर अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए नियोजित करती हैं, विशेष रूप से, आदेश 39 नियम 1 और 2 और आदेश 38 नियम 5; हालाँकि, न्यायालय शब्दो से अनावश्यक रूप से बंधा हुआ नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में (उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ जे के अनुसार) कहा था, धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को अंतर्निहित उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान रखना चाहिए तथा विवाद समाधान के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय को कार्य करना चाहिये । विद्वान न्यायाधीश ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

"जिस तरह एक ओर धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित प्रक्रियात्मक कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए एक अज्ञात क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोर प्रक्रिया को राहत के अनुदान को विफल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है बल्कि यह न्याय के सर्वोपरि हितों की पूर्ति करेगा। प्रत्येक मामले में इन दो तथ्यों एवं दो विचारों के बीच संतुलन बनाना होगा।

46. **वेलेंटाइन मैरीटाइम लिमिटेड बनाम क्रुज़ सब सी पीटीई लिमिटेड और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 75**, में उच्च न्यायालय ने कहा है:-

*"**88.** ...अब यह एक अच्छी तरह से सुस्थापित विधिक स्थिति है कि कम से कम चार्टर्ड उच्च न्यायालयों के संबंध में कि, अस्थायी निषेधाज्ञा देने की शक्ति केवल वैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है। चार्टर्ड उच्च न्यायालयों के पास सामान्य इक्विटी क्षेत्राधिकार के तहत व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा देने की अंतर्निहित शक्ति है..."*

xxx xxxx xxxx

93. *जहां तक वीएमएल के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरिचनिया के द्वारा भरोसा किये गये निर्णय 'रमन टेक एवं प्रोसेस इंजी. कंपनी (सुप्रा)' के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि केवल उचित या वैध दावा या प्रथम दृष्टया मामला होने मात्र से वादी को हक नहीं मिलेगा, निर्णय से पूर्व कुर्की के आदेश के लिए, यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि, प्रतिवादी पारित डिक्री को विफल करने के इरादे से, अपनी संपत्ति को हटाने या निपटाने का प्रयास कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य असुरक्षित ऋण को सुरक्षित ऋण में परिवर्तित करना नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत न्यायालय की शक्तियों के संबंध में नहीं था, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के तहत शक्ति के संबंध में था। इसके अन्यथा भी, उक्त निर्णय के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।*

xxx xxxx xxxx

95. *जहां तक वीएमएल के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरिचनिया के द्वारा भरोसा किये गये, इस न्यायालय के युगल पीठ के प्रकरण निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का सवाल है, इस न्यायालय ने आधुनिक स्टील्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स (पी) लिमिटेड, (2007) 7 एससीसी 125 एवं नेशनल शिपिंग कंपनी सऊदी अरब (सुप्रा) के मामले के मद्देनजर डिवीजन बेंच का विचार है कि धारा 9 (ii) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं है । इस न्यायालय ने निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (सुप्रा) के उक्त फैसले में कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग सिविल कोर्ट द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा देने को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। न्यायालय जब धारा 9 के तहत याचिका पर निर्णय करता है, तो उसे प्रदान की गई शक्ति के अंतर्निहित उद्देश्य पर उचित ध्यान देना चाहिए जो कि विवाद समाधान के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता को बढ़ावा देना है।*

96. *इस न्यायालय ने अवधारित किया कि, जिस तरह एक ओर धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी अज्ञात क्षेत्र में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित प्रक्रियात्मक कानून के बुनियादी सिद्धांतों, की कठोरता की अनदेखी करते हुए नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान को राहत के अनुदान को विफल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो न्याय के सर्वोपरि हितों की पूर्ति करेगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों में दो विचारों के बीच संतुलन बनाना होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्वर्ती उपचारों के अनुदान के लिए निर्धारित सिद्धांतों को न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करनी चाहिए जब वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन का निर्धारण करता है। आदेश 38 नियम 5 का अंतर्निहित आधार इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9(ii)(बी) के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।*

xxx xxxx xxxx

104. *इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, 2013 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 1005 के मामले में, आधुनिक स्टील*

लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले को सुनाया। निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अवधारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के हर प्रक्रियात्मक प्रावधान को कठोरता से राहत देने से रोकने के लिए नहीं रखा जा सकता है, जो सर्वोपरि हितों की पूर्ति करेगा। विवाद समाधान के प्रभावी रूप के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता को संरक्षित करने का उद्देश्य विधिवत पूरा किया जाना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह होगा कि धारा 9 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने में, न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, साथ ही, सुरक्षित करने के लिए उचित मामलों में न्यायिक विवेक भी रखेगा। न्याय के उद्देश्य और मध्यस्थता प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें पक्षों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था ताकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के सिद्धांतों को लागू करके मध्यस्थता में मूल याचिकाकर्ता के दावे को सुरक्षित किया जा सके।"

47. **श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम मेसर्स में रवि उद्योग प्रा. लिमिटेड और अन्य [2008 का एपी नंबर 522]** में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, हम में से एक (इंदिरा बेनर्जी, जे.) के माध्यम से बोलते हुए कहा: -

"अंतरिम राहत के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन को एक मुकदमे में वादपत्र के मानकों के अनुसार तय नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रासंगिक तथ्यों को याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाए, तो अंतरिम राहत देने की गारंटी दी जाती है, तकनीकी बातों का सहारा लेकर अंतरिम राहत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए..."

48. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 न्यायालय को मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करने के लिए, चाहे मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने से पहले, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थ अवार्ड देने के बाद किसी भी समय, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार इसके प्रवर्तन से पहले आदेश पारित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है। न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या अंतरिम उपाय के लिए आवेदक के पास प्रथम दृष्टया मामला है, क्या सुविधा का संतुलन और अंतरिम राहत आवेदक के पक्ष में है जिसने उसे दिए जाने की प्रार्थना की है और क्या आवेदक ने उचित प्रयास के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है .

49. यदि प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है और सुविधा का संतुलन और अंतरिम राहत दिए जाने के आधार आवेदक के पक्ष में है, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय को केवल सीपीसी के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्की का आधार व अन्य साक्ष्यों या प्रक्रिया के तकनीति के आधार पर राहत नहीं रोकना चाहिए ।

50. आसन्न मध्यस्थता पुरस्कार की प्राप्ति को विफल करने या विलंबित करने की दृष्टि से संपत्ति से निपटने, हटाने या निपटान करने के वास्तविक प्रयासों का प्रमाण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत राहत देने के लिए अनिवार्य नहीं है। संपत्ति के घटने की प्रबल संभावना ही काफी होगी. सुविधा के संतुलन का आकलन करने के लिए, न्यायालय को कार्यवाही में सफलता के मामले में प्रतिद्वंद्वी को अंतरिम

राहत देने के परिणाम की अपेक्षा, अंतरिम राहत के लिए आवेदक को अंतरिम राहत से इनकार करने के परिणामों की जांच और वजन करना आवश्यक है।

51. यह विवाद में नहीं है कि एस्सार स्टील द्वारा एस्सार हाउस प्राइवेट को लगभग 35 करोड़ रुपये और संबंधित अपील में अपीलकर्ता होने के नाते एस्सार सर्विसेज को 47 करोड़ रुपये का भुगतान सुरक्षा निधि के रूप में जमा किया गया था। यह एक वापसीयोग्य सुरक्षा जमा राशि है. प्रथम दृष्टया, एस्सार स्टील के तीसरे पक्ष को कथित बकाया के परिसमापन के लिए सुरक्षा जमा के परिवर्तन के लिए समूह की कंपनियों के बीच आंतरिक व्यवस्था की एक जटिल श्रृंखला के कथित आधार पर आर्सेलर को वापसी योग्य सुरक्षा जमा जारी नहीं की जा रही है।

52. डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता के इस तर्क पर विचार किया और सही ठहराया:-

*"**33.** अपीलकर्ता द्वारा 21 जनवरी, 2021 को खुलासे का हलफनामा Ex.B दायर किया गया । यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपीलकर्ता भारी कर्ज में डूबा हुआ था और उसके पास उत्तर में हलफनामे में बताई गई संपत्ति के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं थी।*

xxx xxxx xxxx

***39.** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील में कोई दम नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता ने धारा 9 के तहत याचिका के जवाब में पहले ही खुलासा कर दिया था कि अपीलकर्ता के हाथ में केवल एक संपत्ति थी और वह भी गिरवी रखी गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित आदेश में जमा का आदेश पारित या बैंक गारंटी के संबंध में आदेश नहीं दिया गया था । हमारे विचार में, मध्यस्थता में आवेदक के दावे को सुरक्षित करने के लिए न्यायालय के पास धारा 9 के तहत पर्याप्त शक्ति है। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष खुलासा किया है कि उसके पास एक संपत्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं है और वह भी पूरी तरह से भारग्रस्त है, यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत न्यायालय को सुरक्षित करके एक न्यायसंगत आदेश पारित करने से नहीं रोकता है। एक बार प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि आवेदक के पास मध्यस्थता में सफल होने की अच्छी संभावना है और यदि प्रतिद्वंद्वी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए इतनी राशि जमा करने का निर्देश देकर आवेदक के द्वारा किया गया दावा सुरक्षित नहीं किया गया तो मध्यस्थता में आवेदक का दावा, वह इसके निष्पादन पर मध्यस्थ पुरस्कार के फल का आनंद नहीं ले पाएगा।*

xxx xxxx xxxx

***43.** यदि न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका को इस आधार पर खारिज करने की आवश्यकता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई संपत्ति नहीं है या प्रतिद्वंद्वी की संपत्ति पूरी तरह से कब्जे में है, तो यह न्यायसंगत न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि मध्यस्थ कार्यवाही में आवेदक के दावे को सुरक्षित किया जा सके, हालांकि प्रथम दृष्टया उसके पास मध्यस्थता में सफल होने की अच्छी संभावना हो सकती है।*

53. हमें डिवीजन बेंच के तर्कसंगत फैसले और आदेश में कोई कमजोरी नहीं मिली। तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं।

दिव्या पाण्डेय अपील निरस्त।

न्यायदृष्टांत जिस पर विश्वास किया गया -

[1] सिटीबैंक एन०ए० बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य, (2004) 1 एससीसी 12

[2] खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1963) 3 एससीआर 183

न्यायदृष्टांत जिसकी पुष्टि की गई -

[3] अजय सिंह एवं अन्य बनाम काल एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 8934

[4] जगदीश आहूजा व अन्य विरूद्ध क्यूपिनो लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 849

[5] वेलेंटाइन मैरीटाइम लिमिटेड बनाम क्रुज़ सब सी पीटीई लिमिटेड और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 75

[6] श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम मेसर्स में रवि उद्योग प्रा. लिमिटेड और अन्य [2008 का एपी नंबर 522]

न्यायदृष्टांत जिसे संदर्भित किया गया -

[7] कमेटी आफ क्रेडिटर्स आफ एस्सार स्टील द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य, (2020) 8 एससीसी 531

[8] रमन टेक एंड प्रोसेस इंजी. कंपनी एवं अन्य. वी. सोलंकी ट्रेडर्स, (2008) 2 एससीसी 302

VIVEK KUMAR VERMA
Digitally signed by VIVEK KUMAR VERMA
Date: 2023.11.09 17:18:21 +0530

(विवेक कुमार वर्मा)

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (छ०ग०)